उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 44वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 11.02.2019

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522. 2307592, 2307542 4108184 फैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.02.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –सदस्य/सचिव
3. श्री मदन राजा मौर्या, संयुक्त निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री सीता राम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्री विजय कान्त दुबे, निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री राकेश त्रिवेदी, मुख्य तकनीकी सलाहकार, यूपीडा।
4. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री रवीन्द्र गोडबोले, वरिष्ठ सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), यूपीडा।
6. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
7. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी, वन, यूपीडा।
8. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
9. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी, भू–अर्जन, यूपीडा।
11. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
12. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
13. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
15. श्री अनन्त कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
16. श्री प्रकाश नारायण टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
17. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 44वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः—

एजेण्डा बिन्दु—01:— **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न हुई 43वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गयाः—**

कार्यवाही/निर्णयः—

निदेशक मण्डल द्वारा 43 वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु—02:— **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न 43वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गयाः—**

कार्यवाही/निर्णयः— निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न हुई 43वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु—03:— **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगतिः—**

कार्यवाही/निर्णय

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित वित्त पोषण तथा परियोजना के विभिन्न पैकजों के निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी तैयार किये गये 'आर0एफ0क्यू0—कम—आर0एफ0पी0' बिड अभिलेखों (इ0पी0सी0 अनुबन्ध के आलेख एवं शिड्यूल्स सहित) के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2019 से अवगत कराया गया, एवं यह भी अवगत कराया गया कि शासनादेश के अनुपालन में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के छः पैकेजों के क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के लिये अनुमोदित आर0एफ0क्यू0—कम—आर0एफ0पी0 बिड अभिलेख को ई—टेण्डर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.02.2019 को अपलोड कर जारी कर दिया गया है, जारी किये गये बिड अभिलेख के अनुसार बिड प्रकिया की समय सारणी से भी सदस्यों को अवगत कराया गया।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना की प्रगति से संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु—04:— **'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना की अद्यतन प्रगतिः—**

कार्यवाही/निर्णय

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 'गोखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' की अद्यतन प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया एवं 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के इ0पी0सी0 पद्वति पर क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित वित्त पोषण तथा परियोजना के दोनों पैकजों के निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी तैयार किये गये 'आर0एफ0क्यू0—कम—आर0एफ0पी0' बिड अभिलेखों (इ0पी0सी0 अनुबन्ध के आलेख एवं शिड्यूल्स सहित) पर अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2019 भी अवलोकित कराया गया, एवं यह भी अवगत कराया गया कि शासनादेश के कम में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के दो पैकेजों के क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के लिये अनुमोदित आर0एफ0क्यू0—कम—आर0एफ0पी0 बिड अभिलेख को ई—टेण्डर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.02.2019 को

अपलोड कर जारी कर दिया गया है। जारी किये गये बिड अभिलेख के अनुसार बिड प्रकिया की समय सारणी से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना की प्रगति से संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **'गंगा एक्सप्रेसवे' परियोजना :–**

कार्यवाही/निर्णय

वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल) द्वारा अवगत कराया गया कि ''गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में (मेरठ से प्रयागराज तक)'' की डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की अनुमति शासनादेश संख्या–236/77–3–19–21एम/2019 दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा प्राप्त हो गई है। प्राप्त अनुमति के क्रम में निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया कि यूपीडा द्वारा ''गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ से प्रयागराज तक)'' परियोजना के विकास तथा डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने हेतु परामर्शी के चयन सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ करने तथा परामर्शी के चयन सम्बन्धित प्रस्तुत 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना सफल नहीं हो सकी थी, किन्तु इस बार एक्सप्रेसवे ''गंगा नदी'' से 10 कि0मी0 दूर हट के बनायी जा रही है, परियोजना का संरेखण इस प्रकार किया जा रहा है, कि सम्बन्धित जनपदों के निवासियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके एवं पर्यावरण से सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन :–**

कार्यवाही/निर्णय

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा कर्मियों का कार्य काल समय–समय पर बढाया जाता है, का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। साथ ही नई परियोजना के स–समय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वरिष्ठ सलाहकार (संविदा) के पद पर अवकाश प्राप्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उक्त के अतिरिक्त भू–अर्जन हेतु एक सहायक राजस्व अधिकारी एवं सड़क सुरक्षा में एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी (रिक्त पद) पर तैनाती की गई है। उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 05.02.219 तक संलग्न 1–4 पर स्थापित एवं यूपीडामें मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण :–**

कार्यवाही/निर्णय

वादों की समीक्षा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी 20 फरवरी, 2019 तक सभी लंबित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा दें, यदि इस तिथि के बाद कोई प्रकरण शेष रहता है, तो उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत किये जायें।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसव परियोजना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद से प्राप्त भूमि क्रय दर व मूल्य सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन :–**

कार्यवाही/निर्णय मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय भूमि क्रय की दर एवं मूल्य निर्धारण समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों को मण्डलायुक्तों के अनुमोदन के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, इस सम्बन्ध में तालिका में दर्शायी गयी दरें मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की गई है, अनुमोदित दरों के विवरण निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि दरों के अनुमोदन में अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये, कि दरों के निर्धारण में कोई आगणन त्रुटि तो नहीं हैं। साथ ही सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में भूमि क्रय किए जाने के दौरान खातेदार को भुगतान की जाने वाली धनराशि का मिलान एक बार पुनः क्रय क्षेत्र फल से कर लिया जाये तथा भुगतान की कार्यवाही पूर्ण सतर्कता बरतते हुये पर्याप्त परीक्षण के उपरान्त निश्चित समय अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें एवं पारदर्शिता के लिये अनुमोदित दरें यूपीडा की वेबसाइट पर भी जन सामान्य के लिये अपलोड कर दी जायें। उक्त निर्णय के पश्चात निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुमोदित दरों की तालिका

जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम		निहित क्षेत्रफल	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
			ग्रामों की सं0	ग्रामों के नाम			
चित्रकूट	121 /सात–भूलेख/2018–19 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018	कर्वी	1	ल्योंझा	4.303	19502816	14/12/2018
	165 /सात–भूलेख/2018–19 दिनांक 27 दिसम्बर, 2018		2	करारी, धौरही माफी	32.9273	136084560	27/12/2018
	257 /सात–भूलेख/2018–19 दिनांक 17 जनवरी, 2019		5	अकबरपुर, टिटिहरा, मऊ ब, भीषमपुर, पहरा	51.086	215032000	18/01/2019
	जनपद योग		**8**	**0**	**88.3163**	**370619376**	
बांदा	507/आठ–वि0भू0अ0अ0/बांदा दिनांक 13 दिसम्बर 2018	बांदा	10	मोहन पुरवा, तिलेहटा, दोहा, जारी, महोखर, जमालपुर, मवई बुजुर्ग, चहितारा, पिपरी, कनवारा	292.906	2504425600	14/12/2018
	507/आठ–वि0भू0अ0अ0/बांदा दिनांक 13 दिसम्बर 2018	अतर्रा	5	चौसड़, बल्लान, विसण्डा रूरल, पवई, उमरेहण्डा	148.016	589891600	14/12/2018
	51/आठ–वि0भू0अ0अ0/बांदा दिनांक 22 जनवरी 2019	बबेरू	1	पेस्टा	24.1384	79383680	24/01/2019

		जनपद योग		16	0	465.0604	3173700880	
3	हमीरपुर	474 / डी0एल0आर0सी0 –12ए–बु0एक्स0 दिनांक 24 दिसम्बर 2018	मौदहा	4	रीवन, इचौली, गुढ़ा, औरा	121.377	378449600	26/12/2018
		474 / डी0एल0आर0सी0 –12ए–बु0एक्स0 दिनांक 24 दिसम्बर 2018	राठ	4	जखेड़ी, औराखेरा, बहपुर, नन्दना	18.914	61659200	26/12/2018
		474 / डी0एल0आर0सी0 –12ए–बु0एक्स0 दिनांक 24 दिसम्बर 2018	सरीला	1	वीरा	25.138	90496800	26/12/2018
		641 / डी0एल0आर0सी0 –12ए–बु0एक्स0 दिनांक 25 जनवरी 2019	मौदहा	5	गुसियारी, अकोना, बिहुनी खुर्द, खण्डेह, गहरौली	85.519	240206000	28/01/2019
		641 / डी0एल0आर0सी0 –12ए–बु0एक्स0 दिनांक 25 जनवरी 2019	राठ	2	इंगुई, चिल्ली,	104.743	351066400	28/01/2019
		641 / डी0एल0आर0सी0 –12ए–बु0एक्स0 दिनांक 25 जनवरी 2019	सरीला	3	कछवा कला, खर्जुरी, सिंगरावन	45.2704	141266960	28/01/2019
		जनपद योग		19	0	400.9614	1263144960	
	महोबा	309 / डी0एल0आर0सी0 –12ए– दिनांक 13 दिसम्बर 2018	महोबा	2	बन्नी व पुरा	28.073	71843291	14/12/2018
		309 / डी0एल0आर0सी0 –12ए– दिनांक 13 दिसम्बर 2018	चरखारी	1	बराय	8.764	21686280	14/12/2018
		458 / डी0एल0आर0सी0 –12ए– दिनांक 13 दिसम्बर 2018	महोबा	1	ग्योंडी	64.899	245593210	07/01/2019
		458 / डी0एल0आर0सी0 –12ए– दिनांक 13 दिसम्बर 2018	चरखारी	2	खरेला एवं पुन्नियां (बराय संशोधित)	94.697	612339166	07/01/2019
		585 / डी0एल0आर0सी0 –12ए– दिनांक 29 जनवरी 2019	महोबा	1	कौहारी	32.405	82843790	04/02/2019
		जनपद योग		7		228.838	1034305737	
	जालौन	269 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 21 दिसम्बर 2018	उरई	3	बरहा जालौन, हरदोई गूजर व कपासी,	36.718	157804976	26/12/2018
		269 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 21 दिसम्बर 2018	माधौगढ़	5	गोरा भूपका, पारेन मुस्तकिल, किरवाहा, कंचनपुर व इटवाकनार	48.691	210464560	26/12/2018
		269 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 21 दिसम्बर 2018	जालौन	15	रनवाँ, औरेखी, सोनरा, उम्मरगढ, देवरी, ताँबा, रूदपुरा जालौन, सलेमपुर कालपी, फूलपुरखर्रउवा,	159.944	756861758	26/12/2018

				इगुरी, भदवाँ, दौलतपुर, सहाव, पड़वारी व नवीपुर			
	350 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 21 दिसम्बर 2018	माधौगढ़	5	**गोरा भूपका, पारेन मुस्तकिल, किरवाहा, कंचनपुर व इटवाकनार (संशोधित)**	48.681	651616574	24/01/2019
	363 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 14 जनवरी, 2019	जालौन	3	निजामपुर, लहरउवा तथा लहर जालौन	31.2609	172474991	24/01/2019
	385 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 21 जनवरी, 2019	माधौगढ़	4	रामपुरा जालौन, लाडपुर दिवारा, चाकी, तथा कुरेपुरा कनार	35.321	119690548	02/02/2019
	385 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 21 जनवरी, 2019	उरई	5	भुआ, मुहाना, पुरवा, व्यासपुरा तथा बंधौली	98.936	392240534	02/02/2019
	434 / 08–आर0ए0–03 (2018–19) दिनांक 30 जनवरी, 2018	उरई	5	काबिलपुरा, नरछा, खरूसा, कैथेरी व टिमरों	138.8249	1178864227	02/02/2019
	जनपद योग		**40**	**0**	**598.3769**	**3640018167**	
औरैया	314 / आठ–3 / 2018 दिनांक 13 जनवरी, 2019	औरैया	14	बखरिया, तिलकपुर, गढ़ामानिकचन्द, फतेहपुर रामू, विक्रमपुर, रसूलपुर हुलासराय, दासपुर, मुढ़ैना रामदत्त, मिहौली, पन्हर, निगड़ा, करमपुर, अस्ता, रामपुर रामसहाय	165.339	2127710400	14/01/2019
	314 / आठ–3 / 2018 दिनांक 13 जनवरी, 2019	अजीतमल	9	सलैया, पड़रिया, मिर्जापुर मुवाहिज, बहादुरपुर ऊँचा, सतहड़ी, सौहरी गढ़िया, सुअटपुर, व्योरा नवलपुर, ऊँचा,	96.229	754379200	14/01/2019
	314 / आठ–3 / 2018 दिनांक 13 जनवरी, 2019	विधूना	14	पूरनपुर, भैसोल, रामपुर वैश्य, आशा, तुरकपुर, लालपुर, छदूंद, ऐल्पी, लहटोरिया, इटैली, गढ़वाना, बैसोली देहात, वैवाह, कोहना,	226.189	1545097684	14/01/2019
जनपद योग			**37**	**0**	**487.757**	**4427187284**	

7	इटावा	256 / आठ–3 / 2018–19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018	ताखा	3	बेलाहार, कुदरैल, राजीपुर	89.3123	782925285	02/01/2019
		313 / आठ–3 / 2018–19 दिनांक 12 जनवरी, 2019	ताखा	2	ककराही व सोरों	53.074	655462804	14/01/2019
		313 / आठ–3 / 2018–19 दिनांक 12 जनवरी, 2019	भरथना	1	ढकपुरा	4.877	753466914	14/01/2019
		जनपद योग		6	0	147.2633	2191855003	
		महायोग		133	0	2416.573	16100831407	

एजेण्डा बिन्दु–09:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना से सम्बन्धित भूमि कय प्रस्ताव का अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णय मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि जनपद चित्रकूट में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए क्रय किये जाने वाली भूमि के लिए शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत प्रतिकर दर व कुल भूमि मूल्य रु0 40,91,16,000.00 का मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित कराकर पुर्नअनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया, जिसका पुर्नअनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अनुमोदन कराकर इस कार्यालय के पत्र सं0–5631 / यूपीडा 18 / 1020(05) दिनांक 01.02.2019 जिलाधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित कर दिया गया है एवं जनपद झांसी में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए क्रय किये जाने वाली भूमि के लिए शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत प्रतिकर दर मण्डलायुक्त द्वारा अग्रसारित कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसका अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी से कराकर इस कार्यालय के पत्र सं0–5673 / यूपीडा 18 / 1020(05) दिनांक 04.02.2019 जिलाधिकारी, झांसी को प्रेषित कर दिया गया है। भूमि कय की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

भूमि क्रय की स्थिति :–

1. जिलाधिकारी, झांसी द्वारा तहसील–गरौठा की नगर पंचायत एरच से मिली हुयी 3025 हे0 भूमि, जो कि एरच–गेंदाकबूला मार्ग के दोनो तरफ स्थित है, इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त मानते हुए क्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रथम चरण में उक्त भूमि में से ग्राम–एरच, गेंदाकबूला, कठरी, झबरा व नैकेरा की 871.471 हे0 भूमि क्रय करने की स्वीकृति जिलाधिकारी झांसी को दी गयी है, जिसमें से दिनांक 09.02.2019 तक 62 हे0 भूमि क्रय करली गयी है।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा ग्राम–अण्डला, तहसील–खैर में स्थित कृषि विभाग के स्वामित्व वाली 45.00 हे0 भूमि, जो कि लम्बे समय से अप्रयुक्त पड़ी है, अन्तर्विभागीय अन्तरण के माध्यम सेडिफेन्स कारिडोर हेतु उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव यूपीडा की संस्तुति सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।
3. जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा तहसील–कर्वी एवं राजापुर की 500 हे0 भूमि, जो कि कर्वी–राजापुर मार्ग पर स्थित है, इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त मानते हुए क्रय करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रथम चरण में उक्त भूमि में से ग्राम–खुटौरा व बकटा बुजुर्ग की 100 हे0 भूमि क्रय करने की स्वीकृति जिलाधिकारी, चित्रकूट को दी गयी है, जिसमें से दिनांक 08.02.2019 तक 05 हे0 भूमि क्रय की गयी है।
4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर ने ग्राम–साढ़, तहसील–नरवल स्थित 216.00 हे0 भूमि का प्रस्ताव किया है।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार को प्रेषित पत्र में यमुना एक्सप्रेसवे को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले रिंग रोड के दोनो तरफ स्थित मनोरंजन पार्क के 300.00 हे0 भूमि इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया है।

यूपीडा तथा यूपीसीडा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.01.2019 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में इस भूमिको रक्षा उद्योग की स्थापना हेतु उपयुक्त पाया गया है।

6. तद्नुसार प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को संबोधित तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पृष्ठांकित पत्र दिनांक 16.01.2019 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

7. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुपालन में लखनऊ में डिफेन्स कारिडोर हेतु भूमि लिये जाने के प्रयास किये जा रहें है। इस संबंध में लीडा तथा अन्य सरकारी उपक्रमों से भी सम्पर्क किया जा रहा है।

भूमि क्रय का विवरण निम्न है :-

Sl. No.	District	Identified Area	Approved for Purchase (Area)	Alloted budget (in Rs. Crores)	Purchased land till date
1-	Jhansi	3025 ha.	862 ha.	328.00	117 ha.
2-	Chitrakoot	500 ha.	100 ha.	50.00	05 ha.
3-	Aligarh	45 ha.	-	30.00	To be transferred from U.P. Agriculture Department

उपरोक्त प्रगति से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु-10:- **यूपीडा में गतिमान परियोजनाओं के संचालन हेतु सेवानिवृत्त तकनीकी कर्मियों को संविदा पर लिये जाने पर विचार/अनुमोदनः-**

कार्यवाही/निर्णय

प्रस्ताव पर चर्चा में यह निश्चित पाया गया कि चूकि सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके पूर्व पद नाम के साथ संविदा नियुक्त किया जा सकता है, अतः समकक्ष पद नाम जो औद्योगिक विकास अनुभाग द्वारा जारी उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 में है, लिये जाने चाहिए चूकि पूर्व विज्ञापन में प्रकाशित पद नाम बदल गये है, अतः पद का पुनः विज्ञापन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पूर्व हुये विज्ञापन में प्राप्त आवेदनों के आवेदनकर्ताओं को सूचना प्रेषित की जाये कि वे पुनः विज्ञापन के आधार पर आवेदन भेज दें। मुख्य अभियन्ता द्वारा यह तथ्य निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूपीडा में स्थापित सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनाये गये मानक के आधार पर निर्धारित होने वाले नियत वेतन पर तकनीकी कर्मी उपलब्ध नहीं हो सकेंगें। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा केवल वर्तमान प्रस्तावित तकनीकी स्टाफ की संविदा नियुक्ति हेतु यह व्यवस्था दी गई कि विभिन्न श्रेणी के तकनीकी अधिकारियों की नियत वेतन एवं पद नाम निम्नवत् होगें:-

1. महाप्रबन्धक सिविल नियत वेतन 01 लाख प्रतिमाह
2. वरिष्ठ प्रबन्धक सिविल नियत वेतन 65 हजार प्रतिमाह
3. प्रबन्धक सिविल नियत वेतन 50 हजार प्रतिमाह
4. सहायक प्रबन्धक सिविल नियत वेतन 40 हजार प्रतिमाह

उक्त के अतिरिक्त यह भी व्यवस्था दी गई है, कि प्रत्येक तीन माह के बाद नियुक्त तकनीकी कर्मियों (अभियन्ताओं) का कार्य काल बढाने से पूर्व मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रत्येक तकनीकी स्टाफ के लिये यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि उसकी सेवाओं की परियोजनाओं में आवश्यकता है अथवा नहीं, साथ ही इन संविदा कर्मियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं यूपीडा में घोषित अन्य अवकाश अनुमन्य होंगे। उपरोक्त नियत वेतन की व्यवस्था केवल संदर्भित नियुक्तियों पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त की जाने वाली संविदा नियुक्ति पर पूर्व प्रचलित व्यवस्था यथावत् रहेगी।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं सम्बन्धित मदों में Extension of Time पर विचार / अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णय मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ए0टी0एम0एस0 का कार्य विलम्ब से हुआ है, अतः इस कार्य हेतु नियोजित स्टाफ का कार्य काल बढाया जाना प्रस्तावित है, प्रस्ताव से अवगत होते हुये प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर ए0टी0एम0एस0 की स्थापना आदि कार्य हेतु सम्बन्धित ठेकेदार मेसर्स वान इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को कार्य पूर्ण करने हेतु Extension of Time पर विचार / अनुमोदनः–**

कार्यवाही / निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे–भूमि क्रय एवं सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्थाः–**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे भूमि कय हेतु हडको से रू0 1775 करोड़ का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है तथा सिविल निर्माण कार्य हेतु रू0 7000 करोड़ का ऋण बैंकों से लिया जाना प्रस्तावित हैं। निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित ऋण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुये निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया :–

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No.14– placed before it in the meeting held on 11 February 2019, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the Government Orders as contained in the GO No. 238/ 77-3-19-01 (M) dated 31 January 2019, be and are taken on record and due approval be and is accorded for the implementation of the Project as detailed in this G. O. as also the action taken thereupon by UPEIDA from time to time."

b. "That the Borrowing Power of UPEIDA be enhanced by Rs 8775.00 crore for enabling the loan amount of Rs 1775.00 crore from HUDCO for Land Acquisition and Rs 7000.00 crore from Banks for Civil Construction Work of Bunelkhand Expresway Project as specified in the aforementioned order of Govt of UP and that the aforesaid borrowing from HUDCO and Banks is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

c. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised, on behalf of UPEIDA, to approach HUDCO for application of loan for Land Acquisition not exceeding Rs 1775.00 crore on the terms and conditions as may be specified by HUDCO in their loan sanction letter and do all actions on behalf of UPEIDA as may be needed in regard to obtaining the aforementioned loan not exceeding Rs 1775.00 crore from HUDCO. The sanction letters of HUDCO specifying the Terms and Conditions of the loan may be placed before the Board for further necessary action.

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised, on behalf of UPEIDA, to approach various banks for application of loan for Civil Construction Work not exceeding Rs 7000.00 crore on the terms and conditions as may be specified by the banks in their loan sanction letter and do all actions on behalf of UPEIDA as may be needed in regard to obtaining the aforementioned loan not exceeding Rs 7000.00 crore from banks. The sanction letters of banks specifying the Terms and Conditions of the loan may be placed before the Board for further necessary action.

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Loan Agreement, Letter / Deed of Undertakings, ESCROW Agreement etc. to be given by UPEIDA and any other document as required by HUDCO (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between HUDCO and UPEIDA) and the banks, as the case may be, in regard to the aforementioned loans.

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to open and operate an Escrow Account as per the sanction as also the terms of ESCROW Agreement separately for the aforementioned loans.

g. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept amendments to such executed loan agreement, escrow agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan.

h. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to approach the Government of Uttar Pradesh to seek State Government Guarantee, Letters of Comfort for providing the budgetary resources to meet the shortfall in financial resources other than those from HUDCO and banks for completion of the Project as also for providing budgetary resources for debt servicing in case of HUDCO Loan and, in case of bank loan, to meet the shortfall in Toll Revenue of UPEIDA for debt servicing at any point of time during the currency of Bank Loan.

i. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from them in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforementioned Loans and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेन्डा बिन्दु–15:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे–सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्था:–**

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु रू0 2275 करोड़ का ऋण बैंकों से लिया जाना प्रस्तावित हैं। इस एक्सप्रेसवे के भूमि कय के लिये शासन से धनराशि प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है तथा इस के लिये कोई भी ऋण नहीं लियां जाना है। निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित ऋण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुये निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया :–

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 15– placed before it in the meeting held on 11 February 2019, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the Government Orders as contained in the GO No. 77-3-19-10 Budget/2018 dated 31 January 2019, be and are taken on record and due approval be and is accordedfor the implementation of the Gorakhpur Link Expressway Project as detailed in this G. O. as also the action taken thereupon by UPEIDA from time to time."

b. "That the Borrowing Power of UPEIDA be enhanced by Rs 2275.00 crore for enabling the loan amount of Rs 2275.00 crore from Banks for Civil Construction Work of Gorakhpur Link Expressway Project as specified in the aforementioned order of Govt of UP and that the aforesaid borrowing from Banks is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

c. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised, on behalf of UPEIDA, to approach various banks for application of loan for Civil Construction Work not exceeding Rs 2275.00 crore on the terms and conditions as may be specified by the banks in their loan sanction letter and do all actions on behalf of UPEIDA as may be needed in regard to obtaining the aforementioned loan not exceeding Rs 2275.00 crore from banks. The sanction letters of banks specifying the Terms and Conditions of the loan may be placed before the Board for further necessary action.

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Loan Agreement, Letter / Deed of Undertakings, ESCROW Agreement etc. to be given by UPEIDA and any other document as required by the banks (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between banks and UPEIDA) in regard to the aforementioned loan.

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to open and operate an Escrow Account as per the sanction as also the terms of ESCROW Agreement separately for the aforementioned loans.

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept amendments to such executed loan agreement, escrow agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan.

g. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to approach the Government of Uttar Pradesh to seek State Government Guarantee, Letters of Comfort for providing the budgetary resources to UPEIDA to meet the shortfall in financial resources other than those banks for completion of the Project as also for providing budgetary resources to UPEIDA to meet the shortfall in Toll Revenue of UPEIDA for debt servicing at any point of time during the currency of Bank Loan.

h. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from them in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforementioned Loans and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेन्डा बिन्दु–16:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) का आय व्ययक:–**

कार्यवाही/निर्णय वित्त नियत्रंक यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष 2018–19 उ0प्र0 शासन की शीर्षस्थ प्राथमिकता में सम्मिलित आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना तथा बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में विवरण अवलोकित कराये गये। साथ ही यूपीडा की वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्राप्तियों से अवगत कराया गया एवं यह अवगत कराया गया कि 238.20 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जो वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण हेतु भुगतान की गई। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आय–व्यय प्रस्ताव से भी अवगत कराया गया। उक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेन्डा बिन्दु–17:– **कानपुर में दिनांक 14.11.2018 से दिनांक 16.11.2018 तक उ0प्र0 डिफेन्स एक्सपो के आयोजन के संबंध में:–**

कार्यवाही/निर्णय उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर के विकास की जानकारी रक्षा अद्यमियों को देने तथा विकसित किये जा रहे डिफेन्स नोड्स में रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिये प्रदेश में पूर्व में आयोजित किये गये डिफेन्स एक्सपो के कम में कानपुर में दिनांक 14.11.2018 से 16.11.2018 तक उ0प्र0 डिफेन्स एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस कार्य हेतु इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन को उनके प्रस्ताव के अनुसार 98.03 लाख व्यय की अनुमति दी गई थी। वित्त नियत्रंक द्वारा अवगत कराया गया है, कि उपरोक्त कार्यकम के कियान्वयन के पश्चात इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन द्वारा अपने पत्र संख्या 3/यूपीडीसी/13424 दिनांक 03.12.2018 द्वारा रू0 109.18 लाख के मूल बीजक यूपीडा को भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यह व्यवस्था दी गई की कार्यों के बीजकों का परीक्षण करते हुये व्यय सीमा स्वीकृत धनराशि 98 लाख तक सीमित रखी जायें।

निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुये कृत कार्यवाही को अनुमोदन प्रदान किया गया।

त एजेन्डा बिन्दु–01:– **उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु क्रय की जा रही भूमि को उ0प्र0 रक्षा तथा ऐरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 के अंतर्गत भूमि आवंटन की प्रक्रिया, भूमि के दरों का निर्धारण, प्लग एण्ड प्ले पद्धति पर औद्योगिक अवस्थापना इत्यादित के अन्तिमीकरण हेतु प्रदत्त अनुमोदन के सम्बन्ध में :–**

कार्यवाही/निर्णयः– उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु क्रय की जा रही भूमि को उ0प्र0 रक्षा तथा ऐरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 के अंतर्गत भूमि आवंटन की प्रक्रिया, भूमि के दरों का निर्धारण, प्लग एण्ड प्ले पद्धति पर औद्योगिक अवस्थापना इत्यादित के अन्तिमीकरण हेतु प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की दिनांक 06.02.2019 को आहूत बैठक में उपरोक्त नीति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु बनायी जाने वाली नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् प्रस्तावित किये गये है, जो निम्नवत् है एवं उक्त पर निदेशक मण्डल का अनुमोदन आवेदित हैं :–

(क) रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि/भूखण्ड आवंटन समिति :–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संयोजक
2. वित्त नियंत्रक
3. मुख्य तकनीकी सलाहकार
4. विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)
5. टाउन प्लानर
6. सलाहकार प्रोक्योरमेंट
7. विधि सलाहकार

अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा।

(ख) मूल्य का भुगतान :–

1. कुल मूल्य का 10 प्रतिशत आवेदन पत्र के साथ।
2. शेष 90 प्रतिशत 20 छमाही किस्तों में।
3. शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से सामान्य ब्याज देय होगा।
4. मूल्य एवं ब्याज पर प्रदेश सरकार की नवीनतम नीति में प्राविधानित देय सब्सिडी/प्रतिपूर्ति का समायोजन करने के पश्चात् ही किस्तों का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) वित्तीय सुविधायें :–

1. राज्य सरकार की 16.07.2018 को अधिसूचित "उ0प्र0 रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018" के प्रस्तर 5(2) में भूमि क्रय मूल्य अथवा प्रचलित सर्किल दर जो भी कम हो, के 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। वर्तमान समय में चूंकि भूमि के सर्किल दर के चार गुना पर क्रय की जा रही है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त सब्सिडी क्रय मूल्य का मात्र 6.25 प्रतिशत होगी, जो कि अत्यन्त अनाकर्षक है। प्रस्तावित है कि इस प्राविधान को "सर्किल दर अथवा क्रय मूल्य, जो भी अधिक हो, का 25 प्रतिशत" करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।
2. इसके अतिरिक्त उपरोक्त नीति में, जो भी छूट/सुविधायें अनुमन्य की गयी है, वे यथावत प्राविधानित रहेंगी।

(घ) ढांचागत सुविधायें :–

1. प्रस्तावित/आवंटित भूमि तक उत्तम सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था।
2. समुचित/आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।
3. आवश्यक जलापूर्ति की व्यवस्था।
4. यदि एक ही भू–क्षेत्र अथवा भू–खण्ड एक से अधिक इकाईयों को आवंटित होता है, तो सड़क के किनारे स्थित इकाईयों के अतिरिक्त अन्य इकाईयों के लिये पहुंचमार्ग की व्यवस्था।
5. उपरोक्त नीति के प्रस्तर 4 में प्राविधानित सुविधायें इस तरह का पार्क विकसित किये जाने की स्थिति में ही उपलब्ध करायी जायेगी।
6. उपरोक्त नीति–2018 में प्राविधानित अन्य छूट एवं सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित निति विषयक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

तिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में परियोजना के संरेखण के अंतर्गत अवस्थित ग्राम सभा की कतिपय भूमि पर अवस्थित निर्माणों के सापेक्ष उसकी मूल्यांकन धनराशि का भुगतान कर भूमि प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन :–

कार्यवाही / निर्णयः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत अवस्थित ग्राम सभा की कतिपय भूमि पर अवस्थित निर्माणों के सापेक्ष उसकी मूल्यांकन धनराशि का भुगतान कर भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव निदेशक मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। यह भी अगवत कराया गया कि परियोजना में ग्राम सभा की भूमि पर पूर्व से जो निमार्ण कार्य है, उनकों हटाये जाने पर विधिक विवाद में लगने वाले समय से परियोजना की प्रगति प्रभावित होगी एवं एक भी दिन का विलम्ब होने से परियोजना के विभिन्न लागतों में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत बढ सकती है, अतः ग्राम सभा की जमीन पर हुये अवैध निर्माण को हटाने के लिये पूर्व में आगरा–लखनऊ एकसप्रेसवे के निर्णय के समय इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कम में प्रकरण राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया था, राजस्व विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि यूपीडा स्वयं अपने स्तर से निर्णय लेते हुये प्रकरण का निस्तारण करें। अतः ऐसे निर्माण के सापेक्ष्य उसकी मूल्यांकित धनराशि का भुगतान कर अवरोध मुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

तथ्यों को संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार अधिकृत किया गया एवं प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

तिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्तपोषण : कापोरेशन बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र :–

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न 39वीं बैठक में रू0 12 हजार करोड़ की राशि बैंकों से प्राप्त करने के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के कम में रू0 7800 करोड़ ऋण के स्वीकृति पत्र बैंकों से प्राप्त हुये थे, जिनके आधार पर सभी औपचारिकतायें पूरी करते हुये अभी तक रू0 649.322 करोड़ की राशि का आहरण बैंकों के कन्सोर्शियम से कर लिया गया है। इसी कम में कारपोरेशन बैंक ने अपने दिनांक 14.12.2018 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से रू 1000 करोड़ ऋण स्वीकृति की सूचना दी हैं। निदेशक मण्डल ने कारपोरेशन बैंक के स्वीकृति पत्र का अवलोकन कर के सम्यक विचारोपरान्त इस ऋण हेतु अग्रिम प्रकिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुये निम्नवत् संकल्प पारित किया :–

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Additional Agenda Note No. 03 placed before it in the meeting of the Boardheld on 11February2019, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDA byCorporationBankfor availing a loan of Rs 1000.00 crore, as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 12000.00 crore, on the terms and conditions as contained in their Sanction Letter dated 14 December 2018 (copies of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, have been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the civil construction work of Purvanchal ExpresswayProjectbe and is hereby accepted."

b. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and acceptable to the Bank from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

c. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement as finalised by the Consortium led by Punjab National Bank and furnish to the Bank such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Bank."

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Consortium led by Punjab National Bank so as to include the Bankas a part of the Consortium led by Punjab National Bank."

e. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

तिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे : टोल संग्रह : फास्टेग –एन0ई0टी0सी0 की व्यवस्था :–

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2019 को जारी नीतिगत परिपत्र का अवलोकन किया गया एवं तदानुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी को "इंडियन हाइवेज मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (आई0एच0एम0सी0एल0)" के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। इस एम0ओ0यू0 के फलस्वरूप मेसर्स ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड के साथ "Supplementary Agreement" सम्पादित करने के लिये भी निदेशक मण्डल द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

तिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–05:– डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु भूमि क्रय :–

कार्यवाही / निर्णयः– डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 40 / 2018 / 3484 / 77–3–2018–158(एम) / 18 दिनांक 07.12.2018 द्वारा प्रथम चरण में जनपद चित्रकूट, झांसी, जालौन में भूमि क्रय का निर्णय लिया गया था।

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना की समीक्षा की गयी, जिसके उपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि प्रथम चरण में जनपद–जालौन के स्थान पर जनपद–झांसी व चित्रकूट के साथ–साथ लखनऊ में उक्त परियोजना हेतु यूपीसीडा / लीडा की भूमि को प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार किया जाए, यदि एक स्थान पर उपरोक्त औद्योगिक अस्थानों की पर्याप्त भूमि उपलब्ध न

हो, तो यूपीडा द्वारा निजी भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जाए। अतः डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना विकसित किये जाने हेतु प्रथम चरण में जनपद–जालौन के स्थान पर जनपद झांसी व चित्रकूट क साथ–साथ जनपद–लखनऊ में भूमि अन्तरण/क्रय किये जाने एवं जनपद जालौन में डिफेंस कारीडोर हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में प्रस्ताव भारत सरकार की अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाने और भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.02.2019 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को अनुमोदित किये गये है।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
आई०ए०एस०
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी